न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, गोण्डा।

उपस्थितः– राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण वाद संख्या–504/2024

CNR NO–UPGD010030312024

राज्य---------- अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. **हरिकेश सिंह** पुत्र पवन कुमार सिंह उम्र 31 वर्ष,
2. **रामकेवल** पुत्र सिद्धमान सिंह उम्र 76 वर्ष,
3. **पवन कुमार सिंह** पुत्र रामकेवल उम्र 62 वर्ष,
4. **रीता सिंह** पत्नी पवन कुमार सिंह उम्र 60 वर्ष,

निवासीगण ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा, थाना–परसपुर, जनपद–गोण्डा। ––**अभियुक्तगण।**

मु०अ०सं०–88/2024
धारा–498A,304B भा०दं०सं०
व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं
वैकल्पिक धारा–302/34, 201/34
भारतीय दण्ड संहिता
थाना–परसपुर, जिला– गोण्डा।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद का विचारण थाना पुलिस परसपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–88/2024, अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–परसपुर, जिला–गोण्डा में अभियुक्तगण हरिकेश सिंह, पवन कुमार सिंह, रीता सिंह व रामकेवल के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया। अवर न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक–30.05.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात दिनांक–13.06.2024 को उक्त वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। यह सत्र परीक्षण वाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 31.07.2025 के अनुपालन में इस न्यायालय को दिनांक 01.08.2025 को प्राप्त हुआ, तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद का विचारण किया गया।

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.04.02 15:58:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ने थाना परसपुर पर तहरीर 4 क/3 प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि– "श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना– परसपुर, जनपद–गोण्डा।

निवेदन है कि प्रार्थी कौशल कुमार सिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम रांगी, थाना तरबगंज गोण्डा का निवासी है। प्रार्थी अपनी लड़की कोमल सिंह की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासी रामपाल पुरवा मौजाद बहुवन मदार माझा थाना परसपुर गोण्डा के साथ किये थे। शादी के बाद से कोमल सिंह के घर वाले पति हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व अजिया ससुर रामकेवल पुत्र सिद्धमान सिंह व दशरथ पुत्र अज्ञात व पवन कुमार की पत्नी सौतेली सास व देवर कल्लू सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व देवर नैतिक सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासीगण (रामपाल पुरवा) बहुवन मदार माझा दहेज के लिए मेरी लड़की को प्रताड़ित करते थे। उसके ससुराल के लोगों को समझा बुझाकर अपनी लड़की को भेज दिया था, लेकिन वह लोग दहेज की मांग पर अड़े रहे। दिनांक 12.03.2024 को जरिए मोबाइल लड़की के ससुराल के लोगों द्वारा मेरी बड़ी लड़की पिंका सिंह के मोबाइल पर लड़की के भाग जाने की सूचना दी। मैं मौके पर जाकर पता किया तो पता चला की दहेज के लिये मेरी लड़की को मारकर रात में ही घाघरा नदीं में फेंक दिए है और घर के लोग ताला बंदकर फरार हो गये। अतः सूचना को आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर– कौशल कुमार सिंह पुत्र मानसिंह निवासीग्राम– रांगी, थाना–तरबगंज, गोण्डा। दिनांकित– 14.03.2024."

3. वादी की उक्त तहरीर 4 क/3 प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना–परसपुर, जिला– गोण्डा में नामित अभियुक्तगण हरिकेश, रामकेवल, दशरथ, पवन कुमार की शौतेली सास, कल्लू सिंह व नैतिक के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.03.2024 को मुकदमा अपराध संख्या– 88/2024, अन्तर्गत धारा– 498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत हुई, चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर **प्रदर्श क–04** के रूप में संलग्न है। इस अभियोग की विवेचना विवेचक क्षेत्राधिकारी चन्द्रपाल शर्मा द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अभिलिखित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी व फर्द बरामदगी तैयार किया। बाद सम्पूर्ण विवेचना विवेचक क्षेत्राधिकारी चन्द्रपाल शर्मा द्वारा अभियुक्तगण हरिकेश, रामकेवल, रीता सिंह व पवन कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मु०अ०सं0–88/2024, अन्तर्गत धारा–498–A, 304–B, 201 भा०दं०सं० व **¾** दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 24.05.2024 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद अभियुक्तगण हरिकेश, रामकेवल, रीता सिंह व पवन कुमार सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–498–A, 304–B, 201 भा०दं०सं० व **¾** दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक 30.05.2024 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष जरिये

वीडियों कॉन्फ्रेन्स पेश किया गया और अभियुक्त का धारा–167 दं०प्र०सं० का वारण्ट निरस्त कर धारा–209 दं०प्र०सं० का बनाया गया। इसके उपरान्त यह वाद दिनांक 13.06.2024 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्तगण हरिकेश, रामकेवल, रीता सिंह व पवन कुमार सिंह के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्गत धारा–498A, 304B भा०दं०सं० एवं वैकल्पिक आरोप 302/34, 201/34 भा०दं०सं० व **4** दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रथम दृष्टया आधार पाते हुए उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा दिनांक 22.08.2024 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गयी।

6. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं –

क्रम संख्या	**अभियोजन अभिलेख**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर वादी मुकदमा	प्रदर्श क–1
2.	पंचायनामा मृतिका	प्रदर्श क–2
3.	फोटो नाश	प्रदर्श क–3
4.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
5.	जी०डी० कायमी मुकदमा	प्रदर्श क–5
6.	पुलिस फार्म सं०–379	प्रदर्श क–6
7.	पुलिस फार्म सं०–13	प्रदर्श क–7
8.	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	प्रदर्श क–8
9.	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क–9
10.	नक्शा नजरी शव बरामदगी	प्रदर्श क–10
11.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11
12.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–12
13.	नमूना मोहर	प्रदर्श क–13
14.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–14
15.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–15
16.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–16
17.	प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र	प्रदर्श क–17

7. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण प्रस्तुत किए गये हैं, जिन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया गया है –

क्रम संख्या	नाम अभियोजन साक्षी	विवरण
1.	कौशल कुमार सिंह	वादी मुकदमा/मृतिका का पिता
2.	सरोज सिंह	मृतिका की माता
3.	पिंकी सिंह	मृतिका की बहन
4.	चिकित्सक आलोक चौधरी	शव–विच्छेदनकर्त्ता
5.	उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
6.	नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह	पंचायतनामाकर्ता
7.	चन्द्रपाल शर्मा सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी	मुकदमा विवेचक
8.	उपनिरीक्षक आदित्य गौरव	फर्द शव बरामदगी स्थल तैयारकर्ता
9.	भूलन	साक्षी गोताखोर
10.	हेड कॉ० विनोद कुमार सिंह	गवाह फर्द बरामदगी
11.	अनीता सिंह	वाहन स्वामी

अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनका साक्ष्य परीक्षण निम्न प्रकार हैः –

अभियोजन साक्ष्य–

8. **अभियोजन साक्षी सं०–01 कौशल कुमार सिंह** मृतिका का पिता वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया गया है कि– मैंने अपनी लड़की कोमल का विवाह हाजिर अदालत मुल्जिम अभियुक्त हरिकेश सिंह के साथ दिनांक 11.06.2022 को किया था। शादी व बिदाई में मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से दान–दहेज दिया था। शादी में मेरी लड़की विदा होकर ससुराल गई थी। जब मेरी लड़की ससुराल में थी तब उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार तथा पवन कुमार के पिता रामकेवल तथा चचेरा ससुर दशरथ, सास रीता तथा देवर कल्लू व नैतिक सिंह मेरी लड़की को कम दहेज लाने की बात कहकर ताना मारते थे और प्रताडित करते थे तथा अतिरिक्त दहेज में 3 लाख रुपये की मांग करते थे और इसके लिए मेरी लड़की को मारते–पीटते थे। मेरी लड़की मुझसे बताती थी कि ससुराल में मेरे पति, सास–ससुर व देवर तथा अजिया व चचेरे ससुर कम दहेज की बात कहकर मारते पीटते और प्रताड़ित करते है। मैंने अपनी लड़की कोमल सिंह के पति और ससुरालजन से कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ इतना रूपया दहेज में नहीं दे सकता, मेरी लड़की को परेशान मत करो, परन्तु ये लोग नहीं माने।

घटना दिनांक 12.03.2024 को जब मेरी लड़की कोमल ससुराल में थी तब मेरी बड़ी लड़की पिन्की सिंह ने फोन से बताया कि कोमल के पति हरिकेश ने फोन करके बताया है कि कोमल रात में जेवर और कपड़ा लेकर कहीं भाग गई है। इस सूचना पर मैं अपनी लड़की कोमल के ससुराल ग्राम रामपालपुरवा मौजा बहुवनमदार माझा गया था। वहाँ पर इनके घर में ताला लगा था, तब गाँव वालों से पता करने पर जानकारी हुई कि कोमल के ससुरालवालों ने कोमल को मार कर घाघरा नदी में फेंक दिया है। घटना की रिपोर्ट लिखाने मैं थाना परसपुर गया था। दरखास्त मैंने थाने बाहर एक आदमी से बोलबोल करें लिखाया था। मैंने दरखास्त को पढ़कर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था, जिस पर मेरी रिपोर्ट लिखी गई थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4/4 तहरीर को देखकर गवाह ने कहा कि यह वहीं तहरीर है, जिसे मैंने लिखाकर थाने पर दिया था, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। गवाह द्वारा तस्दीक करने पर कागज संख्या 4/4 **तहरीर पर प्रदर्श क–1** डाला गया।

पुलिसवालों को पता चला कि मेरी लड़की कोमल सिंह की लाश को उसके पति तथा ससुरालवालों ने ग्राम कमियार सीमा अन्तर्गत घाघरा नदी में पीपा पुल के पास फेका है, तब पुलिसवालों ने दिनांक 14.03.2024 को गोताखोरों की मदद से लाश को घाघरा नदी से बरामद किया था। मैं तथा मेरा लड़का, मेरी पत्नी तथा गाँव के लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने तथा मेरे परिवार वालों ने कोमल सिंह के शव का पहचान किया था। वहीं पर थाना की पुलिस व नायब तहसीलदार करनैलगंज आये थे और मेरी लड़की कोमल सिंह के शव का पंचायतनामा मेरे सामने किए थे और लाश को सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5/43 व 5/44 फर्द पंचायतनामा देखकर गवाह ने कहा कि यह वही पंचायतनामा है, जिसकी कार्यवाही व लिखा–पढ़ी मेरे सामने की गई थी, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। गवाह द्वारा तस्दीक करने पर कागज संख्या 5/43 व 5/44 फर्द **पंचायतनामा पर प्रदर्श क–2** डाला गया। पोस्टमार्टम के बाद में मैंने अपनी लड़की के शव को अपने घर ले जाकर उसका दाह संस्कार किया था। मेरी लड़की कोमल सिंह को घटना के समय पाँच माह का एक लड़का उसके गोद में था, जो इस समय मेरे पास है, जिसका मैं पालन–पोषण कर रहा हूँ।

मेरी लड़की कोमल सिंह को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार तथा पवन कुमार के पिता रामकेवल तथा चचेरा ससुर दशरथ, सास रीता तथा देवर कल्लू व नैतिक सिंह ने प्रताड़ित करके उसको मार डाला और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसकी लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया था। इस संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैंने अपनी बड़ी लड़की पिन्की सिंह की शादी मझारा, लोटईपुरवा में किया है। मैंने दूसरे नम्बर की लड़की की शादी अईलीमाझा में किया है, दोनों की शादी किस वर्ष में किया है, याद नहीं है। मेरे कुल 06 लड़की और 03 लड़के हैं, जिसमें से 03 लड़की की और 01 लड़के की शादी हो चुकी है। जिस लड़के की शादी की है, उसका नाम रामकृपाल सिंह है, वर्ष 2023 में उसकी शादी की है। मेरे तीनों लड़के

नौकरी नहीं करते। मेरे पास 40 बीघा खेत है। मैंने कोमल की शादी अपने गाँव वालों के बताने से की थी। शादी देखने मैं गया था, हम चार लोग शादी देखने गए थे। हरिकेश उस समय दिल्ली में नौकरी करते थे, किस कम्पनी में करते थे, याद नहीं है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी लड़की कोमल मोबाईल चलाती थी या नहीं।

दिनांक 18.02.2025 की पुनः जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल हस्ताक्षर बना लेता हूँ। तहरीर प्रदर्श क–1 किसने लिखा था, मुझे याद नहीं है। तहरीर लिखने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि तहरीर में क्या लिखा गया था। मैं अपनी लड़की कोमल की मृत्यु की सूचना मिलने पर मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था, किसी ने मेरा हस्ताक्षर बनाकर मुकदमा लिखा दिया था। कोमल का विवाह घटना के करीब 8 साल पहले हुआ था। काफी दिनों तक उसके ससुराल के लोग उसका दवा ईलाज कराए, तब उसे एक बच्चा हुआ था, जो करीब डेढ साल का है। कोमल ने मुझसे कभी अपने पति हरिकेश, अपने अजिया ससुर राम केवल, बचेरे ससुर दशरथ, ससुर पवन कुमार देवर व सास के बारे में कोई शिकायत नहीं किया था। मेरी लड़की ने कभी नहीं बताया था कि यह लोग उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते है और अतिरिक्त दहेज की मांग करते है। दिनांक 12.03.2024 को मेरी बेटी पिंकी सिंह ने हम लोगों को सूचना दिया की कोमल सिंह रात से ही अपने ससुराल से कहीं चली गई है, उसके पति व ससुराल वाले उसे ढूंढ रहे है। इस सूचना पर मैं तथा परिवार के लोग उसके ससुराल गए थे वहां पर हरिकेश सिंह, पवन कुमार सिंह रामकेवल सिंह, कल्लू, नैतिक तथा घर की औरतें रीता आदि सभी लोग कोमल को ढूंढने के लिए परेशान थे। पुलिस वालों ने कोमल की लाश को घाघरा नदी के अन्दर से ढूंढ़कर गोताखोरों की मदद से निकलवाया था।

मेरी लडकी कोमल की मृत्यु में उसके पति हरिकेश, ससुर, पवन कुमार, सास रीता सिंह व अजिया ससुर राम केवल का कोई दोष नहीं है। आज के पहले दिनांक 10.10.2024 को मैंने लोगों के सिखाने पढ़ाने पर बयान दिया था। आज में बिना किसी और दबाव को न्यायालय पर बयान दे रहा हूँ। घटना के संबंध में सी०ओ० साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को पुनः परीक्षा की अनुमति दी गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) द्वारा की गई पुनः परीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैंने मुख्य परीक्षा का बयान गांव के किन लोगों के सिखाने पढ़ाने से दिया था, मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि घटना की रिपोर्ट मैंने लिखायी थी। खुद कहा कि तहरीर में क्या लिखा था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गवाह को उसका धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने सी०ओ० साहब को

नहीं दिया था, सी०ओ० साहब ने उसका बयान कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।

यह कहना गलत है कि मेरी लडकी कोमल से उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार तथा पवन कुमार के पिता राम केवल सिंह, चचेरे ससुर दशरथ, सास रीता व देवर कल्लू व नैतिक सिंह दहेज में तीन लाख रूपये की मांग कर रहे थे तथा उसे प्रताड़ित कर रहे थे। यह भी कहना गलत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उपरोक्त लोगों ने मेरी लड़की को मार डाला और उसकी लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने मृतका कोमल के पुत्र शिव प्रताप, जिसकी उम्र अभी डेढ वर्ष है, के पालन पोषण व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले लिया है इस कारण आज मैं मुल्जिमान से सुलह करके झूंठा बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मुख्य परीक्षा का बयान मैंने पूरे होश में और पूरी समझदारी से दिया था।

9. **अभियोजन साक्षी सं०–02 सरोज सिंह** मृतिका की माता है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– मृतका कोमल मेरी बेटी थी, जिसकी शादी हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह के साथ जून 2022 में की थी। शादी में हम लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज व गृहस्थी का सामान देकर अपनी बेटी को शादी में ही विदा किया था। कोमल अपने ससुराल में राजी खुशी अपने पति के साथ रह रही थी। ससुराल वालों द्वारा काफी दवा ईलाज कराने के बाद कोमल को एक बेटा हुआ था, जो इस समय करीब डेढ साल का है। कोमल से उसके पति हरिकेश व उसके परिवार वालों ने कभी दान दहेज की कोई मांग नहीं की थी और न ही कोमल ने कभी दान दहेज की मांग व प्रताड़ना के बारे में मुझे बताया था। दिनांक 12.03.2024 को मेरी बेटी पिंकी ने फोन पर हम लोगों को सूचना दी कि कोमल अपने ससुराल से रात में कहीं चली गई है। सूचना पाकर मैं अपने पति व परिवार के अन्य लोगों के साथ कोमल के ससुराल गई, जहां हरिकेश, पवन, राम केवल, कल्लू, नैतिक व परिवार की औरतें रीता आदि, सभी लोग कोमल के घर से कहीं चले जाने के कारण काफी परेशान थे और ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दिनांक 14.03.2024 को कोमल की लाश घाघरा नदी से पुलिस वालों ने गोताखोरों की मदद से निकलवाई थी। मैं भी मौके पर गई थी। मेरी लड़की कोमल की मृत्यु में उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार सास रीता व अजिया ससुर राम केवल का कोई दोष नहीं है। घटना के बारे में मेरा कोई बयान किसी पुलिस वाले ने नहीं लिया था।

इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह की अनुमति दी गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मेरी छः लड़कियां थी, जिसमें तीन की शादी हो गई है और तीन की नहीं हुई है। मेरी पुत्री कोमल का विवाह उसकी मृत्यु के दो साल पहले हुआ था। कोमल मरने के 5 माह पहले मायके से ससुराल गई थी। आखिरी बार उसे उसके पति हरिकेश सिंह मायके से ससुराल ले गए

थे। इन पांच महिनों में कोमल के ससुराल में दहेज को लेकर हुए किसी वाद–विवाद की जानकारी हम लोगों को नहीं हुई थी। हरिकेश व उनके परिवार वाले कोमल से दहेज में किस चीज की मांग कर रहे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरी पुत्री कोमल को एक लड़का है, जिसकी उम्र डेढ वर्ष है, वह इस समय मेरे पास है।

यह कहना गलत है कि कोमल के लड़के को हरिकेश के पिता ने अपने घर ले जाने के लिए और हरिकेश के हिस्से की पूरी सम्पत्ति उसके नाम करने का वादा किए है। इसी के आधार पर हम लोगों ने मुल्जिमान से सुलह किया है। आज मैं अपने पति के साथ बयान देने के लिए न्यायालय पर आयी हूँ। मेरे पति ने अपना निजी अधिवक्ता भी नियुक्त किया है, जो न्यायालय में मेरे साथ उपस्थित है। मैंने सी०ओ० साहब को अपने बयान में यह बात नहीं बताया था कि "शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी पुत्री को उसी दिन सूचना मिली कि घाघरा नदी पर बने पीपा पुल के नीचे एक महिला का शव मिला है, जिस पर हम लोग मौके पर जाकर देखे, वह शव मेरी पुत्री कोमल का था। उपरोक्त बातें सी०ओ० साहब ने मेरे बयान में कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती हूँ।

यह कहना गलत है कि हरिकेश सिंह, राम केवल सिंह, दशरथ सिंह, रीता सिंह कल्लू सिंह, नैतिक सिंह व पवन कुमार सिंह मेरी पुत्री कोमल से दहेज की मांग करते थे तथा इसके लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह भी कहना गलत है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसके पति हरिकेश सिंह तथा उसके ससुरालीजन राम केवल सिंह, दशरथ सिंह, रीता सिंह, कल्लू सिंह, नैतिक सिंह व पवन कुमार सिंह ने कोमल सिंह को गला दबाकर मार डाला हो और साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया हो। यह भी कहना गलत है कि मेरे पति ने मुल्जिमान से सुलह कर लिया है और मैं पति के दबाव में आज न्यायालय पर झूंठी गवाही दे रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि सी०ओ० साहब ने मेरा वही बयान लिखा है जो मैंने उन्हें अपने बयान में बताया हो।

10. **अभियोजन साक्षी सं०–03 पिंकी सिंह** मृतिका की बहन है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि – मेरी छोटी बहन कोमल का विवाह हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रामपाल पुरवा बहुन मदार माझा, थाना परसपुर, जिला गोण्डा के साथ दो साल पहले हुआ था। मेरी बहन का विवाह व विदाई में दान दहेज को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं शादी में शामिल हुई थी। कोमल विदा होकर ससुराल गयी थी। उसके बाद भी मेरी कई बार कोमल से बात होती रहती थी। वह मुझसे अपने पति, ससुर व ससुर के पिता, ससुर के भाई दशरथ अपने सास व देवर किसी के बारे में दहेज प्रताड़ना या दहेज मांगने की शिकायत नहीं करती थी। मेरी बहन कोमल जब अपने ससुराल में थी तभी मुझे अपने पति के माध्यम से कोमल के मरने की सूचना मिली। घटना की रिपोर्ट मेरे पिता जी ने थाने पर लिखाया था। लाश मिलने के बाद मैं भी अपने परिवार के साथ जाकर कोमल का शव देखा था। मेरी जानकारी में मेरी बहन कोमल को उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार,

ससुर के पिता रामकेवल तथा ससुर के भाई दशरथ तथा सास रीता तथा देवर कल्लू व नैतिक ने न तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, न ही उसे मारकर हत्या ही किया है। इस संबंध में सी०ओ० साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मेरी शादी कोमल की शादी के दस साल पहले हुई थी। कोमल की शादी में क्या दहेज मांगा गया, क्या दिया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोमल की शादी के बाद उससे मेरी मुलाकात मायके में किसी शादी ब्याह के अवसर पर ही होती थी। मिलने पर कोमल ने कभी मुझसे अपने ससुराल वालों की शिकायत नहीं किया था। मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ, जरूरत पड़ने पर पति के फोन से बात कर लेती हूँ। घटना वाले दिन मैं फोन नहीं ली थी, न ही मेरे पास कोमल के ससुर का फोन ही आया था। पुलिस वालों ने मेरी बहन कोमल की लाश कहां से बरामद किया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं लाश मिलने के बाद पहुँची थी।

मैंने सी०ओ० साहब को यह बयान "हमारी तीसरी बहन कोमल की शादी ग्राम रामपाल पुरवा.....घटना में मेरी बहन कोमल सिंह के ससुर पवन कुमार सिंह भी शामिल थे' नहीं दिया था। सी०ओ० साहब ने यह बयान कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैं जब अपने बहन कोमल के शव को देखने गयी थी, तब वहां पर बहुत से पुलिस वाले आ गये थे, लेकिन वहां पर मुझसे कोई पूंछताछ नहीं हुई।

यह कहना सही है कि मेरे पिता कौशल कुमार सिंह ने अपना निजी अधिवक्ता श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा को नियुक्त किया है जो न्यायालय पर मौजूद हैं। आज मेरे पिताजी व मेरे पति मेरे साथ मुझे बयान दिलाने के लिए न्यायालय पर लाये हैं। यह कहना गलत है कि मेरी बहन कोमल को उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार व राम केवल तथा सास रीता ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या करके लाश घाघरा में फेंक दिया। यह भी कहना गलत है कि घटना वाले दिन पवन कुमार ने मुझे फोन करके मुझसे बताया था कि तुम्हारी बहन कोमल रात में घर के जेवरात लेकर भाग गई है। यह भी कहना गलत है कि आज मैं अपने पिता के दबाव में न्यायालय पर झूंठी गवाही दे रही हूँ। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी ने मुल्जिमान से सुलह कर लिया है या नहीं।

11. **अभियोजन साक्षी सं०–04 चिकित्सक आलोक चौधरी** शव–विच्छेदनकर्त्ता है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 15.03.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम के लिए थी। उस दिन सी०एम०ओ० गोण्डा के आदेश से मेरी तैनाती पोस्टमार्टम के लिए हुई थी। दिनांक–15.03.2024 को **मृतका कोमल सिंह** की लाश हेड की रामसेवक जिनका पी०एन०ओ० नं०–952310295 है व महिला कॉ० गीता रानी पी०एन०ओ० नं०–162662072

द्वारा कुल नौ पुलिस प्रपत्रों के साथ मुझे प्राप्त हुआ था, जिसका शव–विच्छेदन मैंने दिनांक 15.03.2024 को ही समय 04:10 PM से प्रारम्भ करके 04:50 PM पर समाप्त किया था। शव की पहचान उसके पिता कौशल कुमार निवासी रांगी जनवारपुरवा थाना तरबगंज गोण्डा ने किया था।

मृतका के शरीर की उंचाई 150 सेंमी० शरीर की कद काठी व बनावट मध्यम औसत थी, जिसके शरीर पर एक साड़ी, एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, हाथों में कई चूड़िया, हाथों में धागा, पैर में दो बिछिया व नाक में एक कील मौजूद थी। पूरे शरीर में अकड़न मौजदू थी। पूरे शरीर में सूजन थी, स्किन उखड़े हुए थे। छाले उभरे हुए पाये गये थे। आँखे बन्द थी। मुख खुला था तथा जीभ बाहर निकली थी। दांतों की संख्या 16/16 थी।

एंटीमार्टम इंजरी–

चोट सं०–1 लाइगेचर मार्क 35x2.5 सेमी० मौजूद था तथा गर्दन के चारो तरफ (Gap of six C.M) 6 सेमी० का गैप था। गले के बांयी तरफ 2.5 सेमी० नीचे बांये कान की तरफ,0.5 सेमी० टूडी (चिन), 0.6 सेमी० दाहिने कान से नीचे।

चोट सं०–2– आन डाई सेक्सन अण्डर लाइंग लाइगेचर मार्क उपस्थिति खाल के नीचे ड्राई, सफेद, चमकदार पावमिंट जैसे टीशू उपस्थित थे।

चोट सं०–3 पूरे शरीर पर कीचड़युक्त मिट्टी के कण मौजूद थे।

आंतरिक परीक्षण–

मस्तिष्क– स्कैल्प–डीकम्पोजिंग, स्कल डीकम्पोजिंग, मस्तिष्क व धमनियों– लूज, मस्तिष्क का फाइन्डिग लिक्यूफाइड।

गर्दन– माउथ टंग एण्ड फैरिंग्स कन्जेस्टेड, लैरिंग एण्ड ओकलकार्ड कन्जेस्टेड, ट्रैकिया एण्ड हायोडबोन–इन्टैक्ट.

चेस्ट– प्ल्यूरा–कन्जेस्टेड, लंग्स फाइन्डिंग्स एण्ड वेट–कन्जेस्टेड बाइलेट्रल–700 ग्राम, हर्ट फाइन्डिंग एण्ड वेट 200 ग्राम राइट फुल एण्ड लेफ्ट इम्पटी।

एब्डामेन– स्टोमक–50 एम०एल० लिक्यूड, स्माल इन्टेस्टाइन इन्क्यूडिंग अपेन्डिक्स–पेस्टी मैटेरियल विथ गैसेस, लार्ज इन्टेस्टाइन एण्ड वेसिल्स–फीकल मैटेरियल विथ गैसेस, लीवर इन्क्यूडेड गालब्लैडर विथ वेट कन्जेस्टेड 1200 ग्राम स्पलीन विध वेट–कन्जेस्टेड 100, किडनी फाइन्डिंग विथ वेट–कन्जेस्टेड बाइलेट्रल 200 ग्राम, जेनाइडल आर्गन–नान ग्रेविड यूट्रस

निष्कर्ष–मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से सम्भवतः 3–4 दिन पूर्व हुई थी।

इमीडिएट काज– दम घुटने से (Asphyxia)। ड्यू टू एन्टीमार्टम हैंगिग।

शव विच्छेदन आख्या मेरे द्वारा तैयार करके हस्ताक्षरित की गयी है और मेरे साथ उस डॉ० अजय यादव भी मौजूद थे, उनके भी हस्ताक्षर शव विच्छेदन आख्या पर मौजूद हैं, जो पत्रावली में कागज संख्या 5/52 ता 5/56 के रूप में मौजूद है, जिसे मैं अपने तैयार किये जाने की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पायी गयी है। मृतका के गले में फांसी लगने से चोटें आयी हैं। मृतका की चोट न०–1 फाँसी लगाने से हो सकती है। मृतका की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के दौरान उसके पूरे शरीर में सूजन, उखड़े हुए स्किन और फफोले पाये गये थे। शरीर में सूजन व फफोले किसी नदी में मृतका के शव को प्रवाहित करने से भी आ सकती है।

12. **अभियोजन साक्षी सं०–05 उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 14.03.2024 को मैं थाना परसपुर में हेड मोहर्रिर के पद पर थाना कार्यालय में तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं०–88/2024 अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व 3/4 देहज प्रतिषेध अधिनियम थाना परसपुर जिला गोण्डा विरूद्ध हरिकेश व पाँच अन्य की **प्रथम सूचना रिपोर्ट** बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली पर तैनात आरक्षी से टाइप करायी थी, जो पत्रावली में कागज संख्या–4/1 ता 4/3 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। उपरोक्त वाद की **कायमी जी०डी०** संख्या 05 दिनांकित 14.03.2024 समय 00:42 बजे पर मैंने दर्ज कराया था, जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या–5/17 है, को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– घटना दिनांक 12.03.2024 की है, और रिपोर्ट घटना के तीसरे दिन 14.03.2024 को मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप कराई गयी थी। प्रभारी निरीक्षक महोदय ने मौखिक आदेश दिया था, तहरीर पर कोई लिखित आदेश नहीं दिया था। वादी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी थाने पर आया था। जी०डी० में वादी के साथ आने वाले अन्य व्यक्ति की अंकना नहीं है। वादी तहरीर लिखकर लाया था।

यह कहना गलत है कि वादी ने तहरीर मेरे सामने ही लिखी थी और उसकी अंकना में कम्प्यूटर में की थी।

13. **अभियोजन साक्षी सं०–06 नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह** पंचायतनामाकर्त्ता है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 14.03.2024 को मैं नायब तहसीलदार के कर्नलगंज के पद पर कार्यरत था। उस दिन अपने उच्चाधिकारी की सूचना पर मैं ग्राम कमियार थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पहुँचा। जहाँ मृतका कोमल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र कौशल कुमार निवासी रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर गोण्डा का शव घाघरा नदी पर बने पीपे के नदी के नीचे से पुलिस द्वारा निकाला गया था। मृतका के मृत्यु के सम्बन्ध में थाना परसपुर में मुकदमा दर्ज

था। मृतका के शव के साथ दो प्लास्टिक की बोरी तथा एक सफेद रंग की प्लस्टिक की रस्सी बरामद हुई थी। पंचायतनामा की कार्यवाही पांच पंचान नियुक्ति कर 14:45 बजे से शुरूकर 15:10 बजे समाप्त किया था। पंचायतनामा मेरे बोलने पर उपनिरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव द्वारा भरकर तैयार किया गया था।

दशाशव– मृतका का शव चित अवस्था में था, सिर उत्तर, पैर दक्षिण, दोनों हाथ पहलू में पैर सीधे आँख, मुहँ बन्द था।

पहनावा– मृतका के पहने कपड़ों का महिला आरक्षी से निरीक्षण कराने पर उसके शरीर पर लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी, लाल ब्लाऊज तथा पीले रंग का पेटीकोट था। बांये पैर में काले रंग का धागा तथा दोनों पैर की अंगुलियों में एक–एक सफेद धातु बिछुआ था। मृतका एक हरे मजबूत नाटे कद की रंग गेहुआ बाल काले नाक कान कद औसत था।

चोट– मृतका के शरीर पर आयी चोट का निरीक्षण महिला आरक्षी से कराने पर उसके बांये गाल पर टूड्डी पर रगड़ के निशान के अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट मौजूद नहीं थी।

पंचानों की राय में मृतका की मृत्यु उसके परिजनों द्वारा मारकर नदी में फेंका गया था, मारने से ही मृत्यु हुई थी, किन्तु मेरी राय में मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराये जाने की राय दी गई थी। मृतका के शव को शव किट बैग में सील सर्व मोहर कर पंचायतनामा व सम्बन्धित समस्त पुलिस प्रपत्र भरवाकर हेड कान्सटेबिल राम सेवल, कॉ० मुनीष वर्मा व महिला आरक्षी गीतारानी को सुपुर्दगी में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। **पंचायतनामा** पत्रावली में **प्रदर्श क–2** के रूप में संलग्न है, जिस पर लिखी इबारत व अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ। **फोटोनाश** कागज संख्या–5/49, **चालन लाश** कागज संख्या5/50, **चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक व सी०एम०ओ०** कागज संख्या–5/51 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर क्रमश **प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– यह सही है कि पंचायतनामा होने के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई विवरण पंचायतनामा पर अंकित नहीं है। थाने से सूचना मिलने के आधार पर पंचायतनामा की कार्यवाही मैंने किया था। मैंने मृतका के शरीर का अवलोकन कराया था, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गई थी, सिर्फ उसके गाल व टूड्डी पर रगड़ का निशान पाया गया था। मुझे मृतका का शव नदी के किनारे मिला था। मेरे अन्दाज से मृतका की उम्र 22–23 वर्ष की थी। मैंने यह नहीं देखा था कि उसके शरीर पर पूजा पाठ की सामग्री फूल, माला रूद्राक्ष आदि मौजूद था या नहीं। पंचायतनामा की कार्यवाही के समय मृतका की हत्या की जाने वाली बात मैंने अपनी राय में नही लिखी है।

यह कहना गलत है कि मैं राय पंचान में वादी के दबाव मे मार कर नदीं में फेंके जाने का कथन किया है। उपरोक्त कार्यवाही के समय दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। यह कहना गलत है कि यह सारी कार्यवाही मैंने फर्जी किया है।

14. **अभियोजन साक्षी सं०–07 चन्द्रपाल शर्मा** सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी मुकदमा विवेचक है। इस ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनाक–14.03.2024 की में क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा मु०अ०सं०–88/2024 अन्तर्गत धारा–498A,3048, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट विरुद्ध हरिकेश व पाँच अन्य थाना परसपुर गोण्डा की विवेचना ग्रहण कर उसी दिन नकल चिक, नकर रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक बयान वादी लेकर वादी के निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, जिसकी अंकना सी०डी०–1 में किया। **नक्शा नजरी घटना स्थल** पत्रावली में संला कागज संख्या–5/18 है, जिस पर लिखी इबारत व उस पर बने अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। दिनांक–14.03.2024 को मृतका के शव की फर्द बरामदगी का अवलोकन किया तथा शव बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया। जिसकी अंकना सी०डी०–2 में किया। **नक्शा नजरी शव बरामदगी घटना स्थल** संलन पत्रावली कागज संख्या–5/22 पर लिखी इबारत व उस पर बने अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। दिनांक–15.03.2024 को थाना कार्यालय से मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति प्राप्त कर उसका अवलोकन किया जिसकी अंकना सी०डी०–3 में किया।

दिनांक–16.03.2024 को थाना कार्यालय से अभियुक्त हरिकेश सिंह व राम केवल की गिरफ्तारी कि सूचना पाकर थाने पहुँचकर गिरफ्तारी मेमों का अवलोकन किया तथा अभियुक्त हरिकेश व रामकेवल का बयान लेकर उन्हें माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त किया, जिसकी अंकना सी०डी०–4 में किया। दिनांक–17.03.2024 को मृतका की बहन पिंकी सिंह, भाई रामकृपाल व साक्षी चितरंजन श्रीवास्तव का बयान लिया और तमामी विवेचना में प्राप्त संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पवन कुमार सिंह का नाम प्रकाश में आया। जिसकी अंकना सी०डी०–5 में किया। दिनांक–18.03.2024 को थाना कार्यालय से प्रकाश में आये अभियुक्त पवन कुमार सिंह की गिरफ्तारी की सूचना पाकर थाने पहुँचकर गिरफ्तारी मेमों व जी०डी० का अवलोकन किया तथा अभियुक्त पवन सिंह का बयान लेकर उसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त किया, जिसकी अंकना सी०डी०–6 में किया। दिनांक–23.03.2024 को मृतका की पंचायतनामा पोस्टमार्टम की मूलप्रति प्राप्त कर उसका अवलोकन किया। जिसकी अंकना सी०डी०–7 में किया। दिनांक–29.04.2024 सी०डी० नम्बर–8 रिमाण्ड से संबन्धित है। दिनांक–03.04.2024 को पंचायतनामाकर्ता नायब तहसीलदार जयशंकर व पोस्टमार्टमकर्ता डॉक्टर

आलोक चौधरी का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–9 में किया। दिनांक–05.04.2024 को मृतका की माँ /पचान गवाह सरोज सिंह व बम बहादुर सिंह का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–10 में किया। दिनांक–7.04.2024 को शादी कराने वाले पण्डित व नाऊ का बयान लिया। जिसकी अंकना सी०डी०–11 में किया। दिनांक–10.04.2024 सी०डी० नम्बर–12 रिमाण्ड से सम्बन्धित है। दिनांक–14.04.2024 को एस०आई० आदित्य गौरव श्रीवास्तव, हेड कॉ० राम सेवक, कॉ० मुनीष वर्मा व महिला आरक्षी गीता रानी का बयान लिया। तत्पश्चात लाश निकालने वाले गोताखोर भूलन व ननकऊ का बयान लिया। जिसकी अंकना सी०डी०–13 में किया। दिनांक–19.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा दिये गये मूलका के शादी के कार्ड का अवलोकन किया। जिसकी अंकना सी०डी०–14 में किया। **शादी कार्ड** पत्रावली में संलन कागज संख्या–5/70 है, जिसे वादी द्वारा मुझे दिया गया था। जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया।

दिनांक–22.04.2024 को थाने से प्राप्त अभियुक्ता की गिरफ्तारी की सूचना पर थाने पहुंचकर गिरफ्तारी जी०डी० व गिरफ्तारी मेमों का अवलोकन किया तथा अभियुक्त रीता का बयान लेकर उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त किया। जिसकी अंकना सी०डी०–15 में किया। सी०डी० नम्बर–16 व 17 रिमाण्ड से सम्बन्धित है। दिनांक–04.05.2024 को मुख्य आरक्षी जिसके व अन्य पुलिस कर्मियों के समक्ष ही मृतका के शव को गोताखोरों के माध्यम से मृतका के शव को घाघरा नदी से निकलवाया गया था, का बयान लिया तथा उसके द्वारा दिये गये फोटोग्राफ का अवलोकन कर प्रमाण पत्र 65B का अवलोकन किया, जिसकी अंकना सी०डी०–18 में किया। दिनांक–05.05.2024 की स्वतंत्र गवाह अवधराज रक्षाराम, राजेन्द्र, खुसामत, सांवल सिंह का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–19 में किया। दिनांक–06.05.2024 को स्वंतत्र गवाह अशोक सिंह, अंकित सिंह, जगतपाल सिंह, अनिल सिंह, अरविन्द कुमार सिंह व विश्राम सिंह का बयान लिया। जिसकी अंकमा सी०डी०–20 में किया। दिनांक–08.05.2024 को स्वतंत्र गवाह श्रीराम सिंह, कमल, धर्मेन्द्र सिंह, संतोष सिंह व नरेन्द्र बहादुर सिंह का बयान लिया। जिसकी अंकना सी०डी०–21 में किया।

दिनांक–09.05.2024 को मृतका के शव को अभियुक्तगण द्वारा घाघरा नदी ले जाने का तथ्य प्रकाश में आया। उस वाहन के बावत लिखित निर्देश जारी कर संलग्न सी०डी० किया, जिसकी अंकना सी०डी०–22 में किया। दिनांक–10.05.2024 को थाने से पिकअप वाहन की बरामदगी व दाखिला की सूचना पाकर थाने पहुँचकर दाखिला जी०डी० का अवलोकन किया, जिसकी अकना सी०डी०–23 में किया। दिनांक 14.05.2024 को उक्त वाहन के वाहन स्वामिनी अनीता सिंह का बयान लिया तथा उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र का अवलोकन किया। तत्पश्चात वाहन स्वामिनी के पति अंजनी सिंह का बयान लिया, जिसकी अंकना सी०डी०–24 में किया। सी०डी०–25 रिमाण्ड से संबन्धित है।

दिनांक–17.05.2024 को परिवार रजिस्टर का अवलोकन कर ग्राम पंचायत अधिकारी रमेश कुमार का बयान लिया। जिसके आधार पर दशरथ सिंह व आदित्य प्रताप सिंह का नामजदगी गलत पायी गई, जिसकी अंकना सी०डी०–26 में किया। दिनांक–18.05.2024 को स्वतंत्र गवाह जगविनय सिंह, विपिन कुमार, पुजारी सिंह का बयान लिया तथा तमामी विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दशरथ सिंह, आदित्य प्रताप सिंह उर्फ कल्लू सिंह व नैतिक सिंह के नाम का विलोपन किया, जिसकी अंकना सी०डी०–27 में किया। दिनांक–24.05.2024 को नामजदगी विलोपित आरोपी आदित्य प्रताप सिंह, नैतिक सिंह व दशरथ सिंह का बयान लिया। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त की तमामी विवेचना में प्राप्त संकलित साक्ष्यों व शव बरामदगी व अन्य प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हरिकेश सिंह, रामकेवल, रीता सिंह व पवन कुमार सिंह के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 201 भा०द० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। **आरोप पत्र** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/1 लगायत 5/13 है, जिस पर लिखी इबारत व उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया।

दिनांक 12.12.2025 की पुनः जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– घटना दिनांक 12.03.2024 की है और सूचना हमें 24.03.2024 को मिली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन मैंने किया था। उस एफ०आई०आर० में छः लोग नामित थे। यह सही है कि तहरीर में दहेज मांगने का क्या स्वरूप है, इस बात की अंकना नहीं है। यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पवन का नाम नहीं है, सिर्फ पवन कुमार की पत्नी सौतेली सास का ही नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। कौशल कुमार सिंह मृतिका कोमल सिंह के पिता थे। यह सही है कि मृतिका फोमल सिंह पेट की बीमारी से ग्रसित थी। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि इसी बीमारी की वजह से आत्महत्या कर लिये क्योंकि इसके सम्बन्ध में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है।

यह कहना गलत है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी घाघरा में जल समाधि दी थी। यह कहना गलत है कि जल समाधि के समय लड़की के मायके वाले सदस्य भी उपस्थित थे। मैं यह पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी की अस्वाभाविक मृत्यु पर उसकी जल समाधि दी जाती है। यह कहना गलत है कि मृतिका के पिता ने क्षुब्ध होकर बेटी की मृत्यु के उपरान्त ससुरालीजन के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया था। मैंने मृतिका के पोस्टमार्टम का अवलोकन किया था। पोस्टमार्टम में मृत्य का कारण हैंगिंग था कोई जहिरा चोट नहीं पायी गयी थी। यह कहना सही है कि घटना में दशरथ सिंह, कल्लू सिंह व नैतिक सिंह की कोई भूमिका न पाये जाने पर मैंने उनके नाम का विलोपन किया था। मैंने एफ०आई०आर० में नामित मृतिका के अजिया ससुर रामकेवल की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र 80 वर्ष की नहीं थी, बल्कि 68 वर्ष थी। साक्षियों के बयान के आधार पर मैंने पवन कुमार का नाम दौरान विवेचना बढ़ाया था। यह कहना गलत है कि रामकेवल, पवन कुमार व उनकी पत्नी हरिकेश सिंह से अलग गाँव के दूसरे

छोर पर बने मकान में रहते थे। यह भी कहना गलत है कि हरिकेश का कोई सम्बन्ध अपने माता–पिता व बाबा से नहीं था। यह कहना गलत है कि मैंने थाने में बैठकर फर्जी तरीके से आरोप पत्र प्रेषित किया।

15. **अभियोजन साक्षी सं०–08 उपनिरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव** गवाह फर्द बरामदगी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 14.03.2024 को मैं थाना परसपुर की चौकी प्रभारी शाहपुर के पद पर तैनात था। उस दिन पूर्व में थाना परसपुर में पंजीकृत मुकदमें के अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त वाद की मृतका कोमल सिंह के शव की बरामदगी मुखबिर की सूचना पर कमियार गांव की सरहद पर घाघरा नदी पर बने पिपापुल के नीचे नदीं में से गोताखोरों की मदद से बरामद कराया था। मृतका के शव को अभियुक्तगण द्वारा दो बोरी कंकरीट के साथ बांधकर नदीं में फेंका गया था। दोनो बोरियों पर सफेद रंग की नायलान की रस्सी से बांधा गया था। मृतका की शव मिलने की सूचना उच्चाधिकारियों को देकर मृतका के पिता वादी व महिला आरक्षी गीतारानी को देकर मौके पर बुलाया गया था। वादी मुकदमा द्वारा मृतका की पहचान अपनी पुत्री कोमल सिंह के रूप में की गयी थी। मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट साहब को सूचना देकर बुलाया गया था। पहली बोरी पीले रंग की डी०ए०पी० खाद की जिस पर आई०पी०एल० कम्पनी का नाम अंकित था तथा दूसरी बोरी कपिला पशु आहार की सफेद व लाल रंग की थी, जो नायलान की रस्सी से बोरी का मुँह बंधा था। बरामदशुदा बोरियों को मौके पर ही सीलसर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। जिसकी फर्द व नमूना मोहर मेरे ही द्वारा मौके पर तैयार की गई थी। सारी कार्यवाही 14.30 बजे पूर्व की गई थी। **फर्द** पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/20 व **नमूना मोहर** कागज संख्या–5/21 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे में तस्दीक करता हूँ, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13** डाला गया। मृतका के शव के साथ बरामद बोरिया व रस्सी सील सर्व मुहर हालत में जिस पर मुकमदें का विवरण अंकित है,जो न्यायालय के आदेश पर खोला गया, जिसे साक्षी तस्दीक किया और कहा कि इन्ही दोनों बोरियों में कंकरीट भरकर इसी सफेद नायलान की रस्सीसे बांधकर शव के साथ बरामद किया था, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ,पीली बोरी पर वस्तु प्रदर्श 2 व सफेद व लाल बोरी पर वस्तु प्रदर्श–3 व सफेद नायलान की रस्सी पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। उसी दिन मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार के निर्देशन व बोलने पर अक्षरशः मेरे द्वारा पंचायतनामा व समस्त पुलिस प्रपत्र तैयार किये गये थे। पंचा की राय में मृतका की मृत्युउ सके ससुराली जन द्वारा माकर कंकरीट की बोरियों के साथ नदी में फेंका गया। पंचायतनामा प्रदर्श क–2 अन्य पुलिस प्रपत्रों पत्रावली प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–8 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे तस्दीक करता हूँ, मेरी मेरे ही द्वारा दिनांक 16.03.2024 को नामित अभियुक्त हरिकेश व रामकेवल की गिरफ्तारी चरसड़ी चौराहे से समय 6:10 बजे तथा दिनांक 18.03.2024 को अभियुक्त पवन कुमार सिंह की गिरफ्तारी 11:50 बजे देवी गंज तिराहे से तथा दिनांक 22.04.2024 को नामित

अभियुक्ता रीता सिंह को चरसड़ी चौराहे से मेरे ही द्वारा कर गिरफ्तारी मेमों तैयार किया गया था। **गिरफ्तारी मेंमो** पत्रावली कागज संख्या–5/21 व 5/39 व 5/72 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिन्हे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15 व प्रदर्श क–16** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– दिनांक 14.03.2024 को मैं चौकी प्रभारी शाहपुर के पद पर नियुक्त था। मुखबिर की सूचनापर हम लोग घाघरा नदी पर गये थे। जिन गोताखोरों ने शव को निकाला था, मैंने उनके नाम की अंकना नहीं किया है। बोरियों में जो कंकरीट शव के साथ मिला था, मैं आज उसे नहीं लाया हूँ। कंकरीट की फर्द नहीं बनायी थी, कंकरीट को फेंक दिया गया था। खाली बोरों व रस्सी की फर्द बनायी गई थी।

यह कहना गलत है कि बोरियों में पूजा से सम्बन्धित कोई सामग्री नहीं थी। यह कहना गलत है कि मृतका नवयुवती थी। अप्रकृति रूप से मृतका की मृत्यु हुई थी। इस कारण दोनों परिवारों की रजामन्दी से मृतका को जल समाधि दी गई थी। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही मैंने फर्जी तरीके से किया हो।

16. **अभियोजन साक्षी सं०–09 भूलन** गोताखोर है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– मैं घाघरा नदी में मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना तथा अपने परिवार की जीविका चलाता हूँ। घटना आज से लगभग दो साल पुरानी है। उस दिन मैं अपने साथियों के साथ पीपा पुल के पास मछली पकड़ने के लिये गया हुआ था। समय पुलिस वहाँ मौके पर आयी थी। दरोगा जी के साथ कई सिपाही भी थे, जिसमें महिला सिपाही भी दरोगा जी ने हम लोगों से नदी में लाश ढूंढनें के लिये कहा तो मैं अपने साथियों के साथ काँट व रस्सी माध्यम से नदी में शव को ढूँढा तो एक महिला की लाश बरामद हुई थी। लाश दो बोरियों जिसमें गिट्टी भरी हुई थी, से नायलॉन की रस्सी से बंधी हुई थी। शव को बोरियों के साथ मैंने व ननकऊ ने अपने अन्य साथियों क मदद से नदी से निकाला था। मौके पर उस महिला के परिवार के लोग भी आये थे। पुलिस वालों ने लोगों के सामने ही लाश का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिये ले गये थे। दरोगा जी ने ये सब बातें मुझसे पूछी थी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं प्राइवेट गोताखोर हूँ। पुलिस वालों ने मुझे बुलाया था, किस लिये बुलाया था, उस समय मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। बाद में पुलिस वालों ने बताया की शव को खोजकर नदी से निकालना है। मेरे साथ 10–12 गोताखोर थे, लेकिन शव को मैंने व मेरे साथी ननकऊ ने ही निकाला था। जब शव को निकाला था, तो शव बोरियों से बंधा था और शव पर चुनरी बन्धी हुई थी और गले में उसके फूलों की डोरी का माला था। शव को हम लोगों ने बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया था, वहाँ पुलिस वालें मौजूद थे।

जनता के काफी लोग थे, जिनमें से मैं किसी को पहचानता नहीं था। शव को जमीन पर रखने के बाद हम लोग अपने–अपने घर चले गये। शव पर साड़ी लाल रंग की थी व चुनरी भी लाल थी।

17. **अभियोजन साक्षी सं०–10 हेड कॉ० विनोद कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 14.03.2024 को मैं थाना परसपुर में हेड कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उस दिनांक को पूर्व में थाना परसपुर में पंजीकृत मुकदमें की मृतका कोमल सिंह पत्नी हरिकेश सिंह निवासी रामपाल पुरवा के शव को गोताखोरों की मददसे उपनिरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव व उनके हमराहियों के समक्ष पीपे के पुल के पास से नदी में से निकाला गया था। मृतका का शव गिट्टी से बंधा हुआ पाया गया था। मेरे द्वारा मृतका के शव की बोरियों के साथ साथ छः फोटो मोबाइल द्वारा खिंची गई थी । फोटो को निकलवाकर प्रमाण पत्र के साथ उपनिरीक्षक आदित्य गौरव व श्रीवास्तव को प्रदान किया गया था। **मृतका का फोटो** पत्रावली में 52 क/1 लगायत 52 क/6 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **वस्तु प्रदर्श क–5, 6, 7, 8 ,9 व 10** डाला गया।

मैंने उपनिरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव को धारा 65B के तहत **साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र** अपना हस्ताक्षर करके दिया था, जो पत्रावली में कागज संख्या–5/76 है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। मृतका के परिजन मौके पर मौजूद थे। विवेचक ने दिनांक 04.05.2024 को मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– घटना वाले दिन मेरी तैनाती थाना परसपुर में हेड कान्सटेबल के पद पर थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हम लोग किसके सूचना पर घाघरा नदी पर पहुँचे थे। मायका व ससुराल के दोनों पक्ष के लोग थाने पर आये थे, जिसके मायके के लोग आये थे, मुझे याद नहीं है कि सूचना के कितनी देर बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन असल जी०डी० आज मैं अपने साथ लेकर नहीं आया हूँ। मौके पर पहुँचने के उपरान्त हम लोगों ने गोताखोरं की मदद से शव को निकलवाया था। मृतका के शरीर पर लाल चुनरी वाली साड़ी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही कहां हुई थी, मैं नहीं जानता हूँ।

यह कहना गलत है कि दोनों परिवार वालों की उपस्थित में आत्मसमर्पण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने का कारण उसे जल समाधि दी गई थी।

18. **अभियोजन साक्षी सं०–11 अनीता सिंह** वाहन स्वामिनी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– मैं वाहन संख्या UP 43BT 2903 पिकअप वाहन जो अशोक लिलैण्ड कम्पनी का था, उसकी वाहन स्वामिनी हूँ। मेरे वाहन को रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर गोण्डा के रहने वाले हरिकेश सिंह जो दूध को व्यापार करते थे, किराये पर लेकर चलाते थे तथा उसका रख रखाव करते थे और वाहन को अपने पास रखते थे। मुझे जब वाहन का किराया लेना होता था, तब

उनसे बातचीत होती थी। मुझे थाने की पुलिस द्वारा बताया गया कि मेरा उक्त वाहन हरिकेश के साथ पुलिस ने पकड़ा है, तब मुझे जानकारी हुई कि हरिकेश ने अपनी पत्नी के शव को मेरी गाड़ी से ही ले जाकर घाघरा नहीं में फेंका है। मैंने अपने उक्त वाहन को न्यायालय से रिलीज कराया था। मैंने सी०ओ० कर्नलगंज महोदय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि मेरे वाहन को हरिकेश सिंह ही किराये पर लेकर चलाते है और उसे अपने पास रखकर उसका रख रखाव करते है। **पत्रावली** पत्रावली में कागज संख्या–5/111 है, जिस पर लिखी इबारत व अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। विवेचक ने पूछताछ किया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि–हरिकेश सिंह को मैं नहीं जानती हूँ मेरे पति जानते है। गाड़ी जब मेरी पकड़ी गयी तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी गाड़ी हरिकेश सिंह किराये पर लेकर चलाते है। मुझे यह नहीं पता है कि किराया कौन लेता है। 6, 7, 8 महीना से लिए हुए थे। मैं व्यक्तिगत रूप से न हरिकेश सिंह को देखी हूँ, न पहचानती हूँ। मेरे सामने न तो कोई लाश बरामद हुई, न ही मेरे सामने हरिकेश सिंह को पुलिस ने पकड़ा ही था। पुलिस वालों द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि आपकी गाड़ी से लाश मिली है। पुलिस वालों ने यह नहीं बताया था कि लाश किस स्थिति में गाड़ी में थी। पुलिस वालो ने यह भी बताया था कि शव को तुम्हारी गाड़ी से ले जाकर घाघरा नहीं में फेके है। मुझे यह नहीं बताया था कि शव को जल समाधि के लिए गाड़ी से ले जाया गया था। मैंने कोई घटना अपनी आँखों से नहीं देखा था।

19. अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य और कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की याचना पर अभियोजन का साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण के बयान दिनांक 09.03.2026 को अन्तर्गत **धारा–313 द०प्र०सं०** में अभिलिखित किया गया।

अभियुक्त हरिकेश द्वारा अभियोजन कथानक को गलत, झूंठा रंजिशन बताया गया और कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं घटना के समय लखनऊ में रहता था, मजदूरी करता था। मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैं अपने परिवार में अलग रहता हूँ।

अभियुक्त रामकेवल द्वारा अभियोजन कथानक को गलत, झूंठा रंजिशन बताया गया और कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। मुकदमा झूँठा रंजिशन है।

अभियुक्त पवन कुमार सिंह द्वारा अभियोजन कथानक को गलत, झूंठा रंजिशन बताया गया और कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। मुकदमा झूंठा रंजिशन है। मैं पहली शादी हुई, मेरी पत्नी मर गई थी। दूसरी शादी के बाद मैं अलग रहता हूँ।

अभियुक्त रीता सिंह ने कथन किया है कि अभियोजन कथानक को गलत, झूंठा रंजिशन है और कथन किया है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं सौतेली माँ हूँ। मैं पहले से ही अलग रहती हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है।

20. अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से मौखिक प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। मौखिक साक्षी का अभिकथन निम्न प्रकार हैं–

21. **<u>प्रतिरक्षा साक्षी सं०–01 जयप्रकाश सिंह</u>** ने सशपथ बयान किया है कि– मैं कौशल कुमार सिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम रांगी जनवारपुरवा थाना तरबगंज, गोण्डा को जानता पहचानता है। उनके यहाँ मेरी पुरानी रिश्तेदारी है। कौशल कुमार की लड़की कोमल की शादी मेरे पड़ोस के गाँव के रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर, गोण्डा के पवन कुमार सिंह के लड़के हरिकेश सिंह के साथ दिनांक 11.06.2022 को हिन्दू परंपरा के अनुसार हुई थी। कोमल सिंह अपने पति हरिकेश सिंह के साथ राजी खुशी से रह रही थी। शादी के छः माह बाद हरिकेश अपने परिवार वालों से बंटवारा करके गांव से बाहर लगभग 200 मीटर पर मड़हा बनाकर रह रहे थे। दिनांक 12.03.2024 को मुझे कौशल कुमार सिंह ने बताया कि मेरी लड़की ससुराल रामपाल पुरवा से कहीं चली गयी है। तब मैं, कौशल कुमार व उनके परिवार वालों के साथ रामपाल पुरवा हरिकेश सिंह के घर गया था। वहां हरिकेश व उनके परिवार वाले व उनके घर वाले तथा गांव वाले काफी परेशान थे और कोमल की तलाश कर रहे थे।

दिनांक 14.03.2024 को कोमल की लाश घाघरा नदी से पुलिस व गोताखोरों द्वारा बरामद की गई थी। हरिकेश सिंह, पवन सिंह, रेखा सिंह, रीता सिंह, रामकेवल सिंह व उनके परिवार वाले शादी के बाद से कभी भी कोमल सिंह को दहेज को लेकर प्रताड़ित नहीं करते थे। कौशल कुमार व उनकी परिवार वालें भी हरिकेश व उनके परिवार वालों से संतुष्ट थे। कौशल कुमार व उनकी पत्नी ने मुझसे दो तीन बार बताया था कि मेरे बेटी पेट की दिक्कत से परेशान रहती थी। हरिकेश व इस मुकदमा के अन्य अभियुक्तगण निर्दोष है। यह बयान मैं किसी जोर दबाव व लालच में नहीं दे रहा हूँ, जो सच है, वहीं बता रहा हूँ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं आज हरिकेश सिंह के बताने व कहने पर आया हूँ। यह मुकदमा कौशल सिंह ने हरिकेश सिंह व उनके परिवार वालों के खिलाफ लिखाया था। यह मुकदमा हरिकेश की पत्नी कोमल सिंह के मृत्यु का मुकदमा है। इस मुकदमा में हरिकेश व उनके परिवार वाले जेल गये थे। **कोमल सिंह की मृत्यु उसके विवाह के दो साल के भीतर ही हुई थी। कोमल अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी ससुराल में ही थी। यह सही है कि कोमल का शव घाघरा में मिला था।** आज जो बाते अपने बयान में बतायी है, वह पहले कभी किसी से नहीं बतायी है। मेरे एक बेटा व तीन बेटिया है, इन सभी की जन्मतिथि याद नहीं है। मेरे व हरिकेश के परिवार के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं।

यह कहना गलत है कि हरिकेश व उनके परिवार से अच्छा सम्बन्ध होने के नाते उन्हे बचाने के लिये आज पहली बार मनगढन्त आधार व विधिक सलाह के आधार पर झूँठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि हरिकेश सिंह व प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग

पूरी न होने के कारम कोमल को प्रताड़ित कर मार डाला और उसके शव को बोरियों में बांधकर घाघरा में फेंक दिया हो।

22. अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य और कोई प्रतिरक्षा साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की याचना पर अभियुक्तगण का प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है और वाद बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

<u>बहस–विश्लेषण</u>

23. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अपनी पत्नी के साथ कोई क्रूरता नहीं की है, न ही दान–दहेज की मांग की है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। मृतिका स्वयं घर से कहीं भाग गई थी, जिसकी सूचना दी गई थी। बाद में मालूम हुआ था कि मृतिका की लाश नदी में से बरामद हुई है और मृतिका का हत्या का कोई कारण स्पष्ट नही है। दहेज मांगने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा की गई दहेज की मांग साबित नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी गवाह पक्षद्रोही है, किसी भी गवाह ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। मृतिका की लाश पानी में पायी गई है, जिसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है। अभियुक्तगण ने कोई दान दहेज की मांग नहीं की है, न ही मारा–पीटा है। मृतिका स्वयं घर से चली गई थी। विवेचक द्वारा गलत विवेचना करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि गलत है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सम्पूर्ण मामला संदेहजनक है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है, और आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

24. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि– मृतिका की मृत्यु अभियुक्तगण के अभिरक्षा में हुई है। अभियुक्तगण को मृतिका के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। मृतिका की लाश घाघरा नदी में पुलिस द्वारा बरामद की गई है, जिसकी मृतिका के ससुरालजन द्वारा शिनाख्त की गयी है। मृतिका के शरीर पर चोटें भी हैं, जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतिका को क्रूरतापूर्वक मार पीट करके हत्या किया है और उसके उपरान्त उसकी लाश को पिकअप गाड़ी से घाघरा नदी में फैंक दिया है। मृतिका की घाघरा नदीं से लाश बरामद होना यह साबित करता है कि घटना में कई लोग शामिल थे, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य हैं, गवाहो के पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

25. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी वादी द्वारा तहरीर में यह कथन किया गया है कि *अपनी लड़की कोमल सिंह की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासी रामपाल पुरवा मौजा बहुवनमदार माझा थाना परसपुर गोण्डा के साथ किये थे। शादी के बाद से कोमल सिंह के घर वाले पति हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व अजिया ससुर रामकेवल पुत्र सिद्धमान सिंह व दशरथ पुत्र अज्ञात व पवन कुमार की पत्नी सौतेली सास व देवर कल्लू सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व देवर नैतिक सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासीगण (रामपाल पुरवा) बहुवन मदार माझा दहेज के लिए मेरी लड़की को प्रताड़ित करते थे। उसके ससुराल के लोगों को समझा बुझाकर अपनी लड़की को भेज दिया था, लेकिन वह लोग दहेज की मांग पर अड़े रहे। दिनांक 12.03.2024 को जरिए मोबाइल लड़की के ससुराल के लोगों द्वारा मेरी बड़ी लड़की पिंका सिंह के मोबाइल पर लड़की के भाग जाने की सूचना दी।* ***मैं मौके पर जाकर पता किया तो पता चला की दहेज के लिये मेरी लड़की को मारकर रात में ही घाघरा नदीं में फेंक दिए है और घर के लोग ताला बंद कर फरार हो गये।***

26. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल ग्यारह साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हे न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षीगण के उक्त बयानों के आधार पर अभियोजन कथानक को बल मिलता है। खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी संख्या–1 प्रस्तुत किया गया है।

27. <u>साक्षी पी०डब्लू० 1</u> ने कथन किया है कि– मैंने अपनी लड़की कोमल का विवाह हाजिर अदालत मुल्जिम अभियुक्त हरिकेश सिंह के साथ दिनांक 11.06.2022 को किया था। शादी व बिदाई में मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। शादी में मेरी लड़की विदा होकर ससुराल गई थी। जब मेरी लड़की ससुराल में थी तब उसके पति हरिकेश, ससुर पवन कुमार तथा पवन कुमार के पिता रामकेवल तथा चचेरा ससुर दशरथ, सास रीता तथा देवर कल्लू व नैतिक सिंह मेरी लड़की को कम दहेज लाने की बात कहकर ताना मारते थे और प्रताडित करते थे तथा अतिरिक्त दहेज में 3 लाख रुपये की मांग करते थे और इसके लिए मेरी लड़की को मारते–पीटते थे। मेरी लड़की मुझसे बताती थी कि ससुराल में मेरे पति, सास–ससुर व देवर तथा अजिया व चचेरे ससुर कम दहेज की बात कहकर मारते पीटते और प्रताड़ित करते है। मैंने अपनी लड़की कोमल सिंह के पति और ससुरालजन से कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ इतना रूपया दहेज में नहीं दे सकता, मेरी लड़की को परेशान मत करो, परन्तु ये लोग नहीं माने।

घटना दिनांक 12.03.2024 को जब मेरी लड़की कोमल ससुराल में थी तब मेरी बड़ी लड़की पिन्की सिंह ने फोन से बताया कि कोमल के पति हरिकेश ने फोन करके बताया है कि कोमल रात में जेवर और कपड़ा लेकर कहीं भाग गई है। इस सूचना पर मैं अपनी लड़की कोमल के ससुराल ग्राम रामपालपुरवा मौजा बहुवनमदार माझा गया था। वहाँ पर इनके घर में ताला लगा था, तब गाँव वालों से पता करने पर जानकारी हुई कि कोमल के ससुरालवालों ने कोमल को मार कर घाघरा नदी में फेंक दिया

है। पुलिसवालों को पता चला कि मेरी लड़की कोमल सिंह की लाश को उसके पति तथा ससुरालवालों ने ग्राम कमियार सीमा अन्तर्गत घाघरा नदी में पीपा पुल के पास फेका है, तब पुलिसवालों ने दिनांक 14.03.2024 को गोताखोरों की मदद से लाश को घाघरा नदी से बरामद किया था। मैं तथा मेरा लड़का, मेरी पत्नी तथा गाँव के लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने तथा मेरे परिवार वालों ने कोमल सिंह के शव का पहचान किया था।

जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं अपनी लड़की कोमल की मृत्यु की सूचना मिलने पर मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था, किसी ने मेरा हस्ताक्षर बनाकर मुकदमा लिखा दिया था। कोमल का विवाह घटना के करीब 8 साल पहले हुआ था। काफी दिनों तक उसके ससुराल के लोग उसका दवा ईलाज कराए, तब उसे एक बच्चा हुआ था, जो करीब डेढ साल का है। कोमल ने मुझसे कभी अपने पति हरिकेश, अपने अजिया ससुर राम केवल, चचेरे ससुर दशरथ, ससुर पवन कुमार देवर व सास के बारे में कोई शिकायत नहीं किया था। मेरी लड़की ने कभी नहीं बताया था कि यह लोग उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते है और अतिरिक्त दहेज की मांग करते है। **दिनांक 12.03.2024 को मेरी बेटी पिंकी सिंह ने हम लोगों को सूचना दिया कि कोमल सिंह रात से ही अपने ससुराल से कहीं चली गई है, उसके पति व ससुराल वाले उसे ढूंढ रहे है। इस सूचना पर मैं तथा परिवार के लोग उसके ससुराल गए थे, वहां पर हरिकेश सिंह, पवन कुमार सिंह रामकेवल सिंह, कल्लू, नैतिक तथा घर की औरतें रीता आदि सभी लोग कोमल को ढूंढने के लिए परेशान थे। पुलिस वालों ने कोमल की लाश को घाघरा नदी के अन्दर से ढूंढ़कर गोताखोरों की मदद से निकलवाया था।**

28. साक्षी पी०डब्लू० 2 ने कथन किया है कि–मृतका कोमल मेरी बेटी थी, जिसकी शादी हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह के साथ जून 2022 में की थी। शादी में हम लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज व गृहस्थी का सामान देकर अपनी बेटी को शादी में ही विदा किया था। कोमल अपने ससुराल में राजी खुशी अपने पति के साथ रह रही थी। ससुराल वालों द्वारा काफी दवा ईलाज कराने के बाद कोमल को एक बेटा हुआ था, जो इस समय करीब डेढ साल का है। कोमल से उसके पति हरिकेश व उसके परिवार वालों ने कभी दान दहेज की कोई मांग नहीं की थी और न ही कोमल ने कभी दान दहेज की मांग व प्रताड़ना के बारे में मुझे बताया था। **दिनांक 12.03.2024 को मेरी बेटी पिंकी ने फोन पर हम लोगों को सूचना दी कि कोमल अपने ससुराल से रात में कहीं चली गई है। सूचना पाकर मैं अपने पति व परिवार के अन्य लोगों के साथ कोमल के ससुराल गई, जहां हरिकेश, पवन, राम केवल, कल्लू, नैतिक व परिवार की औरतें रीता आदि, सभी लोग कोमल के घर से कहीं चले जाने के कारण काफी परेशान थे और ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दिनांक 14.03.2024 को कोमल की लाश घाघरा नदी से पुलिस वालों ने गोताखोरों की मदद से निकलवाई थी।**

29. इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण ने मृतिका की लाश घाघरा नदी में से पुलिस द्वारा बरामद किया जाना स्वीकार किया। मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई है और अभियुक्त हरिकेश सिंह जो कि मृतिका का पति है, की अभिरक्षा में हुई है। मृतिका के पति के संज्ञान में सभी तथ्य विद्यमान हैं, मृतिका का पति मुख्य अभियुक्त है। उसे घटना के सभी तथ्य ज्ञात हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सा साक्ष्य के तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चिकित्सा आख्या, मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा अधिक सशक्त और विश्वसनीय है। यद्यपि अभियोजन के मुख्य साक्षी प्रतिपरीक्षा में घटना का पूर्ण समर्थन नहीं करते है, किन्तु अभियोजन के घटना से सम्बन्धित मूल अभिलेख पंचायतनामा, फोटोनाश, शव–विच्छेदन आख्या के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतिका के मुख पर दो चोटें अंकित की गई है जो कि मृत्यु पूर्व आयी हुई हैं। दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृतिका का शव घाघरा नदी से पुलिस की उपस्थिति में गोताखोरों द्वारा बरामद किया गया है। यदि अभियुक्तगण घटना में संलिप्त नहीं थे और मृतिका की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई थी, जैसा कि अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्षी संख्या–1 ने कथन किया है कि कोमल की मृत्यु उसके विवाह के दो वर्ष के भीतर हुई थी, और कोमल अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी ससुराल में ही थी, तब मृतिका की लाश घाघरा नदी में कैसे और क्यों मिली है? लाश बरामदगी की अवस्था मृतिका के शरीर से बन्धे कंकरीट की दो बोरियों में पायी गई है। मृतिका की लाश घाघरा नदी से उक्त अवस्था में बरामद किया जाना दोनों पक्ष को स्वीकार है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में घटना का मुख्य अभियुक्त मृतिका का पति हरिकेश सिंह अपनी पत्नी के साथ रहता था और वह दूध का कारोबार करता था, जिसके लिये उसने पिकअप वाहन, वाहन स्वामिनी अनीता सिंह से किराये पर ले रखा था और अभियुक्त उक्त वाहन को अपने दूध के कारोबार हेतु 24 घण्टे अपने घर पर ही रखता था। अभियोजन के साक्ष्य में यह भी आया है कि पिकअप वाहन का प्रयोग करते हुए अभियुक्त द्वारा मृतिका की लाश को घाघरा नदी में फेंका गया है और उक्त प्रश्नगत वाहन न्यायालय पर वाहन स्वामिनी के पक्ष में रिलीज किया गया है। मृतिका की मृत्यु अभियुक्त के घर पर ही हुई है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त हरिकेश घटना में संलिप्त नहीं था और वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी घर से कहीं चली गई थी। खण्डन में राज्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा इस तर्क का खण्डन किया गया है और कथन किया गया है कि मृतिका को पहले अभियुक्त द्वारा मुहँ पर चोट पहुचा कर मारा गया और उसके बाद सबूत को खत्म करने के उद्देश्य से मृतिका को गिट्टी की बोरियों में बाँधकर अन्य व्यक्ति की सहायता से घाघरा नदी में फेंका गया है। यह अपराध अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अन्य अभियुक्तगण की भी भूमिका साबित होती है।

31. उक्त प्रकरण में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकृति की है कि मृतिका विवाहिता थी और उसकी मृत्यु उसकी ससुराल वालों की अभिरक्षा में विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई है। मृतिका का

मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है। अभियुक्तगण का यह कहना की मृतिका की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि मृतिका के बीमार होने की कोई चिकित्सा आख्या अथवा ईलाज के पर्चे पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः प्रस्तुत मामला दहेज प्रताड़ना के कारण दहेज मृत्यु से सम्बन्धित है। जिसको अभियोजन साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया है। खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

32. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में मृतिका के निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि पत्रावली पर मूल रूप में संलग्न हैं, जो इस प्रकार है–

33. **पंचायतनामा**

(Panchayatnama)

मृतिका का पंचायतनामा पत्रावली पर **प्रदर्श क–2** मूल रूप में संलग्न है, जो कि दिनांक 14.03.2024 को किया जाना उल्लेखित है। मृतका कोमल सिंह उम्र 23 वर्ष पत्नी हरिकेश सिंह का पंचायतनामा दिनांक 14.03.2024 को नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है, जिस पर पंचानान के हस्ताक्षर अंकित हैं। पंचायतनामें का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है –

शव की दशा–*मृतका का शव चित्त अवस्था में नदी के किनारे पड़ा है। मृतिका का शव का सिर जानिब उत्तर पैर जानिब दक्षिण दोनों हाथ पहलू में पैर सीधे आँख व मुहँ बंद है।*

पहनावा– *मृतका के पहने कपड़ो का महिला आरक्षी द्वारा निरीक्षण कराया गया तो मृतिका के शरीर पर लाल रंग की चुनरी वाली साड़ी व लाल रंग का ब्लाउज तथा पीले रंग का पेटीकोट मौजूद है, मृतका के बांये पैर में काले रंग का धागा तथा दोनों पैर की अंगुलियों में एक–एक सफेद धातु बिछुआ था।*

हुलिया–*मृतका का इकहरा मजबूत नाटे कद का जिस्म रंग गेहुआ काले नाक कान कद औसत उम्र करीब 23 वर्ष।*

चोट–मृतका के शरीर पर आयी चोटों का महिला आरक्षी द्वारा लोक लाज लखते हुए उलट पलट कर चोटों का निरीक्षण कराया गया तो मृतका के बांये गाल पर व ढुड़ी पर रगड़ का निशान मौजूद है। *इसके अतिरिक्त मृतका के शरीर पर अन्य कोई जाहिरा चोट मौजूद नहीं है। हस्ताक्षर– जयशंकर सिंह नायब तहसीलदार दिनांकित–14.03.2024.*

34. **शव–विच्छेदन आख्या**

(Postmortem Report)

पत्रावली पर मृतिका श्रीमती कोमल सिंह उम्र 23 वर्ष पत्नी हरिकेश सिंह पुत्री कौशल कुमार महिला की शव–विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–3** मूल रूप में उपलब्ध है, मृतिका का शव–विच्छेदन दिनांक 15.03.2024 को

जिला अस्पताल गोण्डा में किया गया है, जिसमें मृतिका के शरीर पर आयी हुई चोटें व शरीर की दशा निम्न प्रकार से दर्शित की गई हैं–

शव की दशा– *मृतिका के पूरे शरीर पर सूजना, त्वचा फफोले युक्त आँखे बन्द व मुँह खुला, जीभ बाहर निकली हुई, दाँत 16/16 थे।*

मृत्यु पूर्व चोटें (Antemortem Injuries)–

चोट सं०–1 ***लाइगेचर मार्क 35x2.5 सेमी० मौजूद था तथा गर्दन के चारो तरफ (Gap of six C.M) 6 सेमी० का गैप था। गले के बांयी तरफ 2.5 सेमी० नीचे बांये कान की तरफ,0.5 सेमी० टूडी (चिन), 0.6 सेमी० दाहिने कान से नीचे।***

चोट सं०–2– *आन डाई सेक्सन अण्डर लाइंग लाइगेचर मार्क उपस्थिति खाल के नीचे ड्राई, सफेद, चमकदार पावमिंट जैसे टीशू उपस्थित थे।*

चोट सं०–3 ***पूरे शरीर पर कीचड़ युक्त मिट्टी के कण मौजूद थे।***

आंतरिक परीक्षण–

मस्तिष्क– *स्कैल्प–डीकम्पोजिंग, स्कल डीकम्पोजिंग, मस्तिष्क व धमनियों–लूज, मस्तिष्क का फाइन्डिग लिक्यूफाइड।*

गर्दन– *माउथ टंग एण्ड फैरिंग्स कन्जेस्टेड, लैरिंग एण्ड ओकलकार्ड कन्जेस्टेड, ट्रैकिया एण्ड हायोडबोन–इन्टैक्ट।*

चेस्ट– *प्ल्यूरा–कन्जेस्टेड, लंग्स फाइन्डिंग्स एण्ड वेट–कन्जेस्टेड बाइलेट्रल–700 ग्राम, हर्ट फाइन्डिंग एण्ड वेट 200 ग्राम राइट फुल एण्ड लेफ्ट इम्पटी।*

एब्डामेन– *स्टोमक–50 एम०एल० लिक्यूड, स्माल इन्टेस्टाइन इन्क्यूडिंग अपेन्डिक्स–पेस्टी मैटेरियल विथ गैसेस, लार्ज इन्टेस्टाइन एण्ड वेसिल्स–फीकल मैटेरियल विथ गैसेस,लीवर इन्क्यूडेड गालब्लैडर विथ वेट कन्जेस्टेड 1200 ग्राम स्पलीन विध वेट–कन्जेस्टेड 100, किडनी फाइन्डिंग विथ वेट–कन्जेस्टेड बाइलेट्रल 200 ग्राम, जेनाइडल आर्गन–नान ग्रेविड यूट्रस*

निष्कर्ष– *मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से सम्भवतः 3–4 दिन पूर्व हुई थी।*

इमीडिएट काज–दम घुटने से (Asphyxia)। ड्यू टू एन्टीमार्टम हैंगिग।

हस्ताक्षर– चिकित्सक अजय कुमार यादव(एम०एस०) सी०एच०सी० खरगूपुर, गोण्डा। दिनांकित 15.03.2024.

35. धारा–304 **B** भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबन्धित है किः–

दहेज मृत्यु (Dowry Death):–

01– "जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। वहाँ किसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

02– जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा "

36. **धारा–113 ख *भारतीय दण्ड संहिता*** *में यह उपबन्धित है कि–*

दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा–

"जब यह प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। "

37. **धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** में यह उपबन्धित है कि–

दहेज मांगने के लिए शास्ति– *"यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक, से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"*

38. ***धारा–498–A भारतीय दण्ड संहिता*** *में यह उपबन्धित है कि–*

किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–

" जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

क्रूरताः– क्रूरता के अन्तर्गत निम्न प्रकार का कृत्य आता है जो –

(क) "जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की

दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। "

39. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम जोगेन्दर आदि** 2024 **CrLJ** 1201 **AIROnline** 2024 **SC** 24 के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि– मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग और क्रूरता साबित किया जाना आवश्यक है। धारा–2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह परिभाषित करती है कि दहेज में सबसे पहले कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति शामिल होनी चाहिए। सम्पत्ति का वास्तविक रूप से दिया जाना आवश्यक नही है। जहाँ पर दहेज की वस्तु की मांग की गई है और इस कारण प्रताड़ना व मानसिक उत्पीड़न किया गया है, जिसके लिये पीड़िता देने के लिये समर्थ नहीं थी, वहाँ यह कार्य क्रूरता की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2015 (6) SCC 477 AIR 2015 SC 1359 के वाद में भी दहेज की मांग को व्याख्यित किया है।

40. इसी प्रकार धारा–113(B) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आवश्यक तत्वों को धारा–304B भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष के तत्वों को सन्तुष्ट हो जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध लागू होना न्यायोचित माना गया है। उपरोक्त वाद में राज्य की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध दायर की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोषी पाया गया।

41. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहान पक्षद्रोही हैं और शेष गवाह औपचारिक प्रकृति के हैं, जिनके आधार पर अभियोजन कथानक कहीं तक भी साबित नहीं होता है, केवल मृतिका की घाघरा नदी में से लाश बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। जबकि राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः साबित है।

42. उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह विदित होता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत घटना के औपचारिक साक्षी विवेचक, पंचायतनामाकर्ता व चिकित्सक ने घटना के सम्बन्ध में सुसंगत साक्ष्य दिया है, जो कि विश्वसनीय है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के गवाहों से अभियोजन कथानक को बल मिलता है। साक्षीगण के सम्पूर्ण बयान को पक्षद्रोहिता के आधार पर विश्वसनीय होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही साक्षी की विश्वसनीयता का निर्धारण करते हुए निम्न विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया गया है कि–

It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examined him*. The evidence of such witnesses cannot be*

treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.'

In the case of State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra, [(1996) 10 SCC 360] –

Hon'ble Court held that the evidence of a ***hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon****. A similar view has been reiterated by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543], Gagan Kanojia v. State of Punjab, (2006) 13 SCC 516], Radha Mohan Singh v. State of U.P.,(2006) 2 SCC 450], Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh, (2007) 13 SCC 360] and Subbu Singh v. State, (2009) 6 SCC 462.*

Thus, the law can be summarised to the effect that the ***evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence****.*

उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह भी अवधारित किया गया है कि–

It is well-settled principle of law that only because the witnesses are not independent ones may not be itself be a ground to discard the prosecution case. If the prosecution case has been supported by the witnesses and no cogent reason has been shown to discredit their statements, a judgment of conviction can certainly be cased there upon.

There is no hard and fast rule that family members can never be true witnesses to the occurrence and that they will always depose falsely before the Court. It will always depend upon the facts and circumstances of a given case. In the case of Jayabalan v. U.T. of Pondicherry [(2011) 1 SCC 199], this Court had occasion to consider whether the evidence of interested witnesses can be relied upon. The Court took the view that a pedantic approach cannot be applied while dealing with the evidence of an interested witness. Such evidence cannot be ignored or thrown out solely because it comes from a person closely related to the victim.

44. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के पक्षद्रोही होने का कोई भी लाभ अभियुक्तगण को नहीं मिलता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

45. अभियोजन साक्षी संख्या–6 मृतका का पंचायतनामाकर्ता है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि **मृतका के शव को घाघरा नदी पर बने पीपे के नीचे से पुलिस द्वारा निकाला गया था और मृतका का पंचायतनामा तैयार किया गया था। मृतका के मुहँ के बांये गाल पर और टुड्डी पर रगड़ के निशान मौजूद थे।**

46. अभियोजन साक्षी संख्या–7 विवेचक है, ने कथन किया है कि दिनांक–04.05.2024 को मुख्य आरक्षी जिसके व अन्य **पुलिस कर्मियों के समक्ष ही मृतका के शव को गोताखोरों के माध्यम से मृतका के शव को घाघरा नदी से निकलवाया गया था**, का बयान लिया तथा उसके द्वारा दिये गये फोटोग्राफ का अवलोकन कर प्रमाण पत्र 65B का अवलोकन किया, जिसकी अंकना सी०डी०–18 में किया। दिनांक 14.05.2024 को उक्त वाहन के वाहन स्वामिनी अनीता सिंह का बयान लिया तथा उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र का अवलोकन किया। तत्पश्चात वाहन स्वामिनी के पति अंजनी सिंह का बयान लिया था।

47. अभियोजन साक्षी संख्या–8 ने कथन किया है कि– मृतका कोमल सिंह के शव की बरामदगी मुखबिर की सूचना पर कमियार गांव की सरहद पर घाघरा नदी पर बने पिपापुल के नीचे नदीं में से गोताखोरों की मदद से बरामद कराया था। **मृतका के शव को अभियुक्तगण द्वारा दो बोरी कंकरीट के साथ बांधकर नदीं में फेंका गया था। दोनो बोरियों पर सफेद रंग की नायलान की रस्सी से बांधा गया था। मृतका की शव मिलने की सूचना उच्चाधिकारियों को देकर मृतका के पिता वादी व महिला आरक्षी गीतारानी को देकर मौके पर बुलाया गया था। वादी मुकदमा द्वारा मृतका की पहचान अपनी पुत्री कोमल सिंह के रूप में की गयी थी।** मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट साहब को सूचना देकर बुलाया गया था। पहली बोरी पीले रंग की डी०ए०पी० खाद की जिस पर आई०पी०एल० कम्पनी का नाम अंकित था तथा दूसरी बोरी कपिला पशु आहार की सफेद व लाल रंग की थी, जोनायलान की रस्सी से बोरी का मुँह बंधा था। बरामदशुदा बोरियों को मौके पर ही सीलसर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। जिसकी फर्द व नमूना मोहर मेरे ही द्वारा मौके पर तैयार की गई थी।

48. अभियोजन साक्षी संख्या–9 ने कथन किया है कि– मैं घाघरा नदी में मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना तथा अपने परिवार की जीविका चलाता हूँ। घटना आज से लगभग दो साल पुरानी है। उस दिन **मैं अपने साथियों के साथ पीपा पुल के पास मछली पकड़ने के लिये गया हुआ था। समय पुलिस वहाँ मौके पर आयी थी। दरोगा जी के साथ कई सिपाही भी थे, जिसमें महिला सिपाही भी दरोगा जी ने हम लोगों से नदी में लाश ढूंढनें के लिये कहा तो मैं अपने साथियों के**

साथ काँट व रस्सी माध्यम से नदी में शव को ढूँढा तो एक महिला की लाश बरामद हुई थी। लाश दो बोरियों जिसमें गिट्टी भरी हुई थी, से नायलॉन की रस्सी से बंधी हुई थी। शव को बोरियों के साथ मैंने व ननकऊ ने अपने अन्य साथियों क मदद से नदी से निकाला था। मौके पर उस महिला के परिवार के लोग भी आये थे। जब शव को निकाला था, तो शव बोरियों से बंधा था और शव पर चुनरी बन्धी हुई थी और गले में उसके फूलों की डोरी का माला था। शव को हम लोगों ने बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया था, वहाँ पुलिस वालें मौजूद थे।

49. अभियोजन साक्षी संख्या–10 ने कथन किया है कि–दिनांक 14.03.2024 को मैं थाना परसपुर में हेड कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उस दिनांक को पूर्व में थाना परसपुर में पंजीकृत मुकदमें की मृतका कोमल सिंह पत्नी हरिकेश सिंह निवासी रामपाल पुरवा के शव को गोताखोरों की मददसे उपनिरीक्षक आदित्य गौरव श्रीवास्तव व उनके हमराहियों के समक्ष पीपे के पुल के पास से नदी में से निकाला गया था। मृतका का शव गिट्टी से बंधा हुआ पाया गया था। मेरे द्वारा मृतका के शव की बोरियों के साथ साथ छः फोटो मोबाइल द्वारा खिंची गई थी । फोटो को निकलवाकर प्रमाण पत्र के साथ उपनिरीक्षक आदित्य गौरव व श्रीवास्तव को प्रदान किया गया था।मौके पर पहुँचने के उपरान्त हम लोगों ने गोताखोरं की मदद से शव को निकलवाया था। मृतका के शरीर पर लाल चुनरी वाली साड़ी थी।

50. अभियोजन साक्षी संख्या–11 ने कथन किया है कि–**मैं वाहन संख्या UP 43BT 2903 पिकअप वाहन जो अशोक लिलैण्ड कम्पनी का था, उसकी वाहन स्वामिनी हूँ। मेरे वाहन को रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर गोण्डा के रहने वाले हरिकेश सिंह जो दूध को व्यापार करते थे, किराये पर लेकर चलाते थे तथा उसका रख रखाव करते थे और वाहन को अपने पास रखते थे। मुझे जब वाहन का किराया लेना होता था, तब उनसे बातचीत होती थी। मुझे थाने की पुलिस द्वारा बताया गया कि मेरा उक्त वाहन हरिकेश के साथ पुलिस ने पकड़ा है, तब मुझे जानकारी हुई कि हरिकेश ने अपनी पत्नी के शव को मेरी गाड़ी से ही ले जाकर घाघरा नहीं में फेंका है।** मैंने अपने उक्त वाहन को न्यायालय से रिलीज कराया था।

51. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण घटना में शामिल नहीं थे और मृतिका का पति भी घटना के समय उपस्थित नहीं था, बाद में सूचना मिलने पर पहुँचा था और मृतका पेट की बीमारी से परेशान रहती थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। मृतका घर से स्वयं चली गई थी, जिसका शव घाघरा नदी में मिला था।

52. खण्डन में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतका अपनी ससुराल में थी और अभियुक्तगण द्वारा उसके घर से फरार होने की झूंठी सूचना मृतका के मायके वालों को दी गई और षड़यंत्र करके मृतका को मार पीटकर हत्या करके उसका शव घाघरा नदी में वाहन स्वामिनी अनीता सिंह की किराये पर ली गई गाड़ी से ले जाकर फेंक दिया। मृतका का शव घाघरा नदी से गोताखोरों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में बरामद हुआ है । यह तथ्य उभयपक्ष को स्वीकृत है। मृतका के

बीमारी होने की कोई चिकित्सा आख्या अथवा प्रमाण पत्र अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्तगण मृतका के घर से चले जाने की झूँठी खबर दी गई और स्वयं हत्या की है। मृतका की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई है।

53. अभियुक्त हरिकेश सिंह द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि वह घटना के समय लखनऊ में रहता था। वहाँ मजदूरी करता था। घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। वह अपने परिवार से अलग रहता है। वह निर्दोष है। अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी ने कथन किया है कि–कौशल कुमार की लड़की कोमल की शादी मेरे पड़ोस के गाँव के रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर, गोण्डा के पवन कुमार सिंह के लड़के हरिकेश सिंह के साथ दिनांक 11.06.2022 को हिन्दू परंपरा के अनुसार हुई थी। कोमल सिंह अपने पति हरिकेश सिंह के साथ राजी खुशी से रह रही थी। शादी के छः माह बाद हरिकेश अपने परिवार वालों से बंटवारा करके गांव से बाहर लगभग 200 मीटर पर मड़हा बनाकर रह रहे थे। दिनांक 12.03.2024 को मुझे कौशल कुमार सिंह ने बताया कि मेरी लड़की ससुराल रामपाल पुरवा से कहीं चली गयी है। तब मैं, कौशलकुमार व उनके परिवार वालों के साथ रामपाल पुरवा हरिकेश सिंह के घर गया था। वहां हरिकेश व उनके परिवार वाले व उनके घर वाले तथा गांव वाले काफी परेशान थे और कोमल की तलाश कर रहे थे।

दिनांक 14.03.2024 को कोमल की लाश घाघरा नदी से पुलिस व गोताखोरों द्वारा बरामद की गई थी। हरिकेश सिंह, पवन सिंह, रेखा सिंह, रीता सिंह, रामकेवल सिंह व उनके परिवार वाले शादीके बाद से कभी भी कोमल सिंह को दहेज को लेकर प्रताड़ित नहीं करते थे। कौशल कुमार व उनकी परिवार वालें भी हरिकेश व उनके परिवार वालों से संतुष्ट थे। कौशल कुमार व उनकी पत्नी ने मुझसे दो तीन बार बताया था कि मेरे बेटी पेट की दिक्कत से परेशान रहती थी। हरिकेश व इस मुकदमा के अन्य अभियुक्तगण निर्दोष है। यह बयान मैं किसी जोर दबाव व लालच में नहीं दे रहा हूँ, जो सच है, वहीं बता रहा हूँ।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि– मैं आज हरिकेश सिंह के बताने व कहने पर आया हूँ। यह मुकदमा कौशल सिंह ने हरिकेश सिंह व उनके परिवार वालों के खिलाफ लिखाया था। यह मुकदमा हरिकेश की पत्नी कोमल सिंह के मृत्यु का मुकदमा है। इस मुकदमा में हरिकेश व उनके परिवार वाले जेल गये थे। **कोमल सिंह की मृत्यु उसके विवाह के दो साल के भीतर ही हुई थी। कोमल अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी ससुराल में ही थी। यह सही है कि कोमल का शव घाघरा में मिला था।**

54. अभियुक्त द्वारा घटना के समय अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) का अभिवाक किया गया है, जबकि अभियुक्त हरिकेश मृतका का पति और मुख्य अभियुक्त है। अतः घटना के समय अन्यत्र उपस्थिति का कथन किसी प्रकार से भी विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त को अपनी पत्नी का शव पुलिस द्वारा घाघरा नदी से बरामद किया जाना स्वीकार्य है।

55. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त हरिकेश सिंह मृतिका का पति है, जिसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अभियुक्त पवन सिंह, अभियुक्त हरिकेश सिंह का पिता है। इन दोनों अभियुक्तगण की कथित अपराध में सक्रिय भूमिका रही है। अभियुक्त हरिकेश दूध का काम चार पहिया गाड़ी द्वारा करता था। मृतिका की शादी के दो वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु उसके पति एवं परिवार वालों की अभिरक्षा में हुई है जो कि विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई है। घटना का कारण दहेज की मांग व प्रताड़ना एवं वैमनस्यता रही है जैसा कि अभियोजन के साक्ष्य में आया है। अभियोजन के समस्त गवाहों के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट एवं साबित होता है कि अभियुक्तगण हरिकेश व पवन सिंह कथित अपराध में दोषी है, जहाँ तक शेष अभियुक्तगण का अपराध में संलिप्त होने का प्रश्न है तो सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सगे–सम्बन्धी है और अभियुक्तगण रामकेवल व श्रीमती रीता सिंह की भी कथित अपराध में भूमिका होने से इंकार नहीं किया जा सकता। समस्त अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्ता अभियोजन साक्ष्य से साबित होती है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां इस प्रकृति की है कि समस्त अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता साबित होती है। अभियोजन साक्ष्य एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के सम्यक अवलोकन से मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे साबित होता है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के सम्पूर्ण विश्लेषण से ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं होता है, जिससे अभियुक्तगण का संदेह का लाभ दिया जा सके। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं।

56. इस प्रकार उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अभियुक्तगण आरोपित आरोप 498A, 304B दं०प्र०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, तदानुसार अभियुक्तगण को आरोप में दोषसिद्ध किये जाते है। अभियुक्तगण आज न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके जमानत बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं और अभियुक्तगण के जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज ही दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने की याचना की गई। अतः उभयपक्ष की याचना पर दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु यह वाद लंच के बाद पेश हो।

दिनांक 02.04.2026

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03,गोण्डा।
UPID–5962

57. पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

58. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त हरिकेश सिंह 31 वर्षीय नवयुवक है, जो गाड़ी चलाकर अपना जीवनयापन करता है। अभियुक्त के परिवार में पत्नी है और एक छोटा बच्चा है तथा तीन भाई हैं, जो छोटे हैं। अभियुक्त सबसे बड़ा है। उसके पिता हैं, माता नहीं हैं। अभियुक्त पवन सिंह द्वारा कथन किया है कि वह अपने परिवार में अकेला है और कोई कमाने वाला नहीं है। उसके तीन बच्चे और पत्नी हैं। उसकी पत्नी बीमार है। अभियुक्त कृषि व मजदूरी का कार्य करके अपने जीवन–यापन करता है। उसके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं है, न ही उसके परिवार में जीवकोपार्जन का कोई पर्याप्त साधन नहीं है। अभियुक्ता रीता सिंह बीमार महिला है और अभियुक्त रामकेवल वृद्ध व्यक्ति है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दुर्भाग्यवश इस मुकदमें में रंजिशन फंसा दिया गया है। अभियुक्तगण भविष्य में सद्आचरण बनाये रखेगे। अभियुक्तगण को परिवीक्षाकाल पर छोड़ दिया जाये अथवा कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। अतः अभियुक्तगण की पारिवारिक स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम–से–कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

59. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतिका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है और मृतिका को दहेज के लिये प्राण घातक चोट पहुँचाकर उसकी हत्या करके शव को गिट्टी की बोरी में बांधकर नदी में फेंका गया है। अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ना का भी अपराध किया गया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण को आरोपित आरोप में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण का अपराध समाज के प्रति गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

60. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को मृतिका की दहेज हत्या एवं क्रूरता के मामले में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण का अपराध समाज के प्रति अति गंभीर प्रकृति की अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा परिवीक्षाकाल पर छोड़े जाने की याचना की गई है और कथन किया है कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण पूर्व में जेल में रह चुके हैं। अभियुक्तगण के परिवार की स्थिति दयनीय है, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का अपराध अति गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण द्वारा मृतिका को दहेज प्रताड़ना एवं क्रूरता करके दहेज हत्या कारित कर शव को घाघरा नदी में फेंका गया है, जो कि बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त उभयपक्ष द्वारा की गई

है। अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

61. उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध समाज में अति गंभीर प्रकृति का है, जो कि विरलतम से विरल मामलों की श्रेणी में आता है। अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने से समाज में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेंगी। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को आरोपित धारा– 498A, 304–B भारतीय दण्ड संहिता व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा–

आदेश

62. दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त **हरिकेश सिंह, पवन कुमार सिंह, रामकेवल व रीता सिंह** को आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा 304B भारतीय दण्ड संहिता** में **दस वर्ष** के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

63. दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत **धारा 498–A भारतीय दण्ड संहिता** में **तीन वर्ष** का कारावास एवं मु० रु०–20,000 /– (बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

64. दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत **धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में दोषी पाते हुए **दो वर्ष** का कारावास एवं मु० रु०–10,000/– (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त की सभी सजाये साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार अधीक्षक गोण्डा को अविलंब प्रेषित किया जाए।

अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए। आदेश/ निर्णय की प्रति जिला अधीक्षक कारागार गोण्डा को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित हो।

(राजेश कुमार–III)
दिनांक– 02.04.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03 गोण्डा।

UPID–5962

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार–III)
दिनांक– 02.04.2026 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03 गोण्डा।

UPID–5962